लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख कलेक्ट्रेट, राजसमन्द
लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द/कुम्भलगढ
लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गढबोर/कुम्भलगढ

– रेस्पोण्डेंट

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार **पत्रावली संख्या** 01/2018

कमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 11.04.2018

अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख कलेक्ट्रेट, राजसमन्द, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द/कुम्भलगढ, लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गढबोर/कुम्भलगढ से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख कलेक्ट्रेट, राजसमन्द, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द/कुम्भलगढ, लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गढबोर/कुम्भलगढ को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लो0सू0 अधिकारी प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख कलेक्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा जरिये पत्रांकः–प.14( ) रेकार्ड/भू–अ/2017/4993 दिनांक 31.01.2018 से प्राप्त रिपोर्टानुसार उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ/राजसमन्द व तहसीलदार गढबोर/कुम्भलगढ को जरिये पत्रांक 3701–3706 दिनांक 22.11.17 से प्रेषित रिपोर्ट में अपीलार्थी को चाही गयी सूचना इस कार्यालय मे उपलब्ध नहीं होने से आपके कार्लाय मे उपलब्ध हो तो प्रार्थी को नियमानुसार वांछित सूचना उपलब्ध करावें। जिसकी प्रति प्रार्थी के डाक के पते भी प्रेषित की है। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द के पत्रांक आरटीआई/2018/1347–1351 दिनांक 31.01.18 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में रेकार्ड रूम मे जांच की गई परन्तु वांछित प्रतिलिपि अधिक पुरानी होने से उपलब्ध नहीं हो पा रही है। प्रतिलिपि उपलब्ध होते ही आपको नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावेगी। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त कलक्टर राजसमन्द को दिनांक 14.11.17 एवं प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख राजसमन्द को दिनांक 22.11.17 को पुनः लिखा गया। उक्त दोनो पत्रा कार्यालय हाजा को प्राप्त हुऐ। जिसमें अंकित किया कि मुझे दिनांक 30.05.16 के प्रार्थना पत्र का प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। मुझे घास डिपों मानावतो का गुडा पर चौकिदार नियुक्ति आदेश की प्रति दिलाई जावें। इस संदर्भ में कार्यालय हाजा के रेकार्ड कीपर श्री शंकरसिंह राजपूत लिपिक ग्रेड–1 को पत्रांक आरटीआई/2017/828–829 दिनांक 22.11.17 द्वारा लिखा गया कि आवेदक प्रार्थी सूचना से संन्तुष्ट नहीं है। अतः वांछित आदेश 11.12.68 रेकार्ड रूम मे तलाशी कर आवेदन को उपलब्ध करावें। श्री भंवरसिंह को भी इस पत्र की प्रति दी गयी। रेकार्ड कीपर उपस्थित होकर अवगत कराया कि वांछित आदेश पुराना होने से रेकार्ड रूम मे तलाशी के दौरान प्राप्त नही हो पा रहा है। अतः प्रतिलिपि जारी नहीं की जा सकती है फिर भी तलाशी के दौरान प्राप्त होता है तो प्रार्थी को नियमानुसार उपलब्ध कराने हेतु सूचित किया जावेगा। इसी सूचना प्रार्थी/अपीलार्थी को भी इसके डाक के पते पर दी गयी। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ के पत्रांक सू.अ./2018/565–66 दिनांक 27.03.2018 से प्राप्त रिपोर्टानुसार उपखण्ड कार्यालय कुम्भलगढ जून 2002 से अस्तित्व मे आया है जबकि प्रार्थी द्वारा सूचना सन् 1968 की चाही गयी है। जो इस कार्यालय मे उपलब्ध नही होने से दी जाना संभव नहीं है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढबोर के पत्रांक भू0अ0/2018/437 दिनांक 14.03.18 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा वर्ष 1968 मे चौकीदार पर नियुक्त आदेश की प्रतियां चाही गयी है। जो इस कार्यालय मे उपलब्ध नहीं है। सन् 1968 मे यह तहसील कार्यालय अस्तित्व में नहीं होकर कुम्भलगढ तहसील मे स्थित था। लोक सूचना अधिकारी, कुम्भलगढ के पत्रांक रीडर/सर्त./18/31 दिनांक 05.02.18 से

रेकार्ड रूम मे तलाश की गई कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं हो पाया है। अपीलार्थी को जरिये पत्रांक रीडर/सर्त/18/18–19 दिनांक 11.01.18 के द्वारा सूचना भिजवा दी गई है। अब कोई सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराना शेष नही है।

लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख कलेक्ट्रेट, राजसमन्द, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द/कुम्भलगढ, लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गढबोर/कुम्भलगढ की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ व तहसीलदार गढबोर/कुम्भलगढ के द्वारा कार्यालय मे उपलब्ध अभिलेख अनुसार अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। सूचना का अधिकारी अधिनियम मे भी कार्यालय मे उपलब्ध अभिलेख अनुसार ही सूचना उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है।

उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द के द्वारा प्रेषित विस्तृत रिपोर्ट में अंकित तथ्य के अनुसार कार्यालय के रेकार्ड की तलाशी की जाकर अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी जावेगी।

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द को निर्देशित किया जाता है कि आपके कार्यालय के रेकार्ड शाखा मे कुशल कार्मिक को लगाकर 15 दिवस मे नियुक्ति संबंधी आदेश पत्रावली की तलाश कर अपीलार्थी को निःशुल्क सूचना उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।

अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख कलेक्ट्रेट, राजसमन्द, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द/कुम्भलगढ, लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गढबोर/कुम्भलगढ को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द